न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः— 125/2017

कल्याणसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपुत निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

वादी

बनाम

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपुत निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपुत निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी
3. विरेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपुत निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी
4. राजवीरसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपुत निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी
5. कमोदकंवर पुत्री किशोरसिंह पत्नि रणवीरसिंह जाति राजपुत निवासी हाल राजोद तहसील जायल जिला नागौर
6. राजेश कुवर पुत्री किशोरसिंह पत्नी अजीतसिंह जाति राजपुत निवासी बिराई तहसील बावड़ी जिला जोधपुर
7. किशोर पुत्र ब्रहमादत जाति पुरोहित निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
8. छत्रपाल पुत्र ब्रहमादत जाति पुरोहित निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
9. मूलचन्द पुत्र ब्रहमादत जाति पुरोहित निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
10. उप पंजीयक तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 10/10/2017

वादी ने वादपत्र जरिये वकील इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 528 रकबा 0.77 है0 अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि शामलाती कृषि भूमि है तथा भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन वादी एवं प्रतिवादीगण मौखिक बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित भूमि शामलाती होने के कारण सीमा को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होता है तथा वादी अपने हिस्सा व कब्जा की भूमि पर राजकीय योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। अंत में निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगातय 9 को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द फरमाया जावे तथा ग्राम पौंख की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 528 में वादी के कब्जा काश्त की भूमि में कोई रास्ता नहीं निकालें। भूमि खसरा नम्बर 528 रकबा 0.77 है0 का बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के मध्य विधिवत बंटवारा किया जाकर अलग— अलग राजस्व रिकार्ड कायम किया जावे। वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्तें जबाबदेही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने जरिये वकील जबाब दावा प्रस्तुत किया है कि ग्राम पौंख के भूमि खसरा नम्बर 528 में सभी सह खातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमि शामलाती कृषि भूमि है तथा रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज आपति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 11 बावजूद तामिल सूचना के तथा बार– बार आवाज दिलाने के बरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकलाय के निवेदन पर बहस दावा अंतिम श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम पौंख के भूमि खसरा नम्बर 528 का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बंटवारा किया जाकर अलग– अलग खाता व लगान कायम किया जावे।

बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के वकील ने अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम पौख के भूमि खसरा नम्बर 528 का हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 ग्राम पौख के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 528 की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायज 9 कि पिता ब्रहमदत के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि शामलाती भूमि है तथा भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के कथन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 अपने अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने अपने जबाब दावा में कथन किया है कि उक्त वर्णित भूमि का हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन कर दिया जावे। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 खातदार दर्ज नहीं होने के कारण प्रस्तुत वादपत्र के जरिये कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। उक्त विवेचन से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के मध्य उक्त वर्णित कृषि भूमि का रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम पौख तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 528 रकबा 0.77 है0 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 उक्त वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार नहीं होने की वजह से इनको कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में एक माह में भिजवावें।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 10.10.17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner